कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–4/रजीगृ/स्थानान्तरण पदस्थापन/2022 दिनांकः 24.09.2022 द्वारा मीता सिंह व्याख्याता जीव विज्ञान का स्थानान्तरण राबामावि आदर्श नगर, अजमेर से राउमावि बांदरसिंदरी, अजमेर किया गया। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व मीता सिंह द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 5014/2022 मीता सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 5014/2022 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांकः 09.11.2022 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन को राज्य सरकार व विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश प्रदान किए है। अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण में कथन किया है कि उसकी सेवा निवृति में 15 माह का समय शेष रहा है। माननीय अधिकरण ने अपने निर्णय में अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारित किये जाने तक प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.09.2022 का क्रियान्वयन अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रखा है। साथ ही यह स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावें जहां वह चुनौती आदेश पारित किए जाने से पूर्व कार्यरत था।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी मीता सिंह द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं की सेवानिवृति में एक वर्ष का समय ही शेष रहने एवं 24 वर्ष की ग्रामीण सेवा देने के आधार पर राबाउमावि आदर्श नगर अजमेर में ही यथावत रखे जाने की परिवेदना प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। राज्य सरकार के स्थानान्तरण संबंधी पत्र क्रमांक प. 17(30) शिक्षा–2/2021 जयपुर दिनांक 14.09.2022 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों जो कि पूर्व के सभी दिशा–निर्देशों के अधिक्रमण में जारी किए गए है, के अनुसार विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गंभीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण)/परिवीक्षाधीन कार्मिक एवं सेवा निवृति में एक वर्ष शेष रहने वाली श्रेणियों में आने वाले कार्मिकों को स्थानान्तरण में शिथिलता प्रदान किए जाने के निर्देश प्राप्त है परन्तु उक्त शर्त स्थानीय स्थानान्तरण/समायोजन में लागू नहीं होगी। स्थानान्तरण आदेश के समय अपीलार्थी की सेवानिवृति में 15 माह का समय शेष था साथ ही इनका स्थानान्तरण स्थानीय स्तर (राबामावि आदर्श नगर, अजमेर से राउमावि बांदरसिंदरी, अजमेर) पर ही किया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिहं दत्त के प्रकरण में अपने निर्णय में अवधारित किया है कि किसी भी लोकसेवक के स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में निर्णय का क्षेत्राधिकार नियोक्ता को है कि वह अपने अधीन लोकसेवक को कब,कहां और किस समय स्थानान्तरित करता है।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख के आधार पर याचिकार्थी राज्य सेवा की अधिकारी है तथा उसे राज्य के किसी भी विद्यालय में पदस्थापित किया जा सकता है। किसी भी लोक सेवक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानान्तरण की मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानांतरण किया जा सकता है। अतः स्थानान्तरण आदेश से किसी प्रकार से सेवा नियमों का उल्लंधन नहीं पाया गया। उक्तानुसार अपीलार्थी मीता सिंह व्याख्याता जीव विज्ञान का अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है सभी संबधित पक्षकार सूचित हो।

(गौरव अग्रवाल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–4/रजीगृ/मीता सिंह/5014/को.के/2022 दिनांकः– 17/04/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ) जयपुर।
6. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या.) माध्यमिक।
7. स्टॉफ आफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
8. विधि अनुभाग/सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
9. संबंधित संस्था प्रधान।
10. संबंधित कार्मिक।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते